तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
14/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को जारी कियां जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम भिण्डा कुआं तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 5,19,28,29, 31,63,74, 79,80,82, 89,90,91, 93,95, 96,97,98,99,100,101,115,116,117,128,129,130,134,135,136 कुल रकबा 177.11 बीधा भुमि के संबध में मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभय–पक्षकारान को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा